

न्यायालय राजस्व अधीन प्रतिकारी, पाली

पीठाधीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अधीन : 132/2017

अपीलान्त

बनाम

रैस्पॉन्डेंट :-

सरकार जारिये तहसीलदार मारवाड

2. रवतराम पुत्र बीजाराम जालिगाण देवासी

जंखान

निवासीगाण आसन जाखवन तहसील

मारवाड जंखान

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्वान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री हरजीराम, विद्वान अभिभाषक अपीलान्त

नाथ तहसीलदार, मारवाड जंखान, रैस्पॉन्डेंट की ओर से श्री 505/17/2017 राजस्व

04.01.2017

:- निर्णय :-

दिनांक:- 20.11.17

अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 628/2016 में तहसीलदार मारवाड जंखान द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2017 तथा आतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपील संख्या 17/2017 में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पॉन्डेंट को जारिये समन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रैकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गाम आसन जाखवन तहसील मारवाड जंखान के खसरा नम्बर 249 रकबा 0.50 हेक्टेयर किस्म 10B0 गीतर की भूमि पर अपीलान्त का कब्जा काबूत दर्शाते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 04.01.2017 को तारीख पेशी पर उपस्थित होने का नोटिस दिया गया तथा नियत तारीख पेशी पर अपीलान्त की उपस्थिति दर्शाते हुए अपीलान्तीय आदेश पारित किया। उक्त भूमि पर अपीलान्त का मकान बना होना बताया है, जबकि खसरा नम्बर 249 में अपीलान्त का कब्जा ही नहीं है। अपीलान्त का मकान उसकी स्वयं की खातेदारी भूमि पर काबूत है, जिसके खसरा नम्बर 249/1 है। खसरा नम्बर 249/1 के बीच में से रोड का निर्माण किया गया है, जो मौक पर भी पटवारी हक्का द्वारा बिना खसरा नम्बर 249/1 रास्त के दोनों तरफ स्थित है। मौक पर भी पटवारी हक्का द्वारा बिना नाम किये मान रजिष्ट्रेशन अपीलान्त का कब्जा खसरा नम्बर 249 में बताया जा रहा है, जबकि अपीलान्त अपनी खातेदारी भूमि पर काबूत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को साक्ष्य सख्त प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया एवं अपीलान्त को प्रस्ताववर्ती अधिकारी मानते हुए तीन माह के सिविल कारवाय से दण्डित किया, जबकि प्रस्ताववर्ती अधिकारी को साबित करने हेतु किसी प्रकार का रैकॉर्ड पत्रावली पर नहीं है। पटवारी हक्का द्वारा रजिष्ट्रेशन प्रकरण तहसीलदार मारवाड जंखान के समक्ष प्रस्तुत किया एवं अधिनस्थ न्यायालय ने भी बिना किसी जांच किये, अपीलान्तीय आदेश पारित किया है। अपीलान्त के विरुद्ध गलत रूप से प्रकरण निरस्तारित करते हुए बंदखली एवं सजा का आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। इन तथ्यों को मातहत अदालत द्वारा नजर अन्दाज कर जैर अपील आदेश पारित किये हैं। जिस



राजस्व अधीन प्रतिकारी, पाली



प्राप्त
विदेशीय मामलों के विभाग

4

अधिनियम 1956 की धारा 91 की भांति भी राजकीय मामलों को आतिक्रमण से मुक्त करना है।
 से आधिकारिक निकायों से आतिक्रमण हटाया जाना अधिक किया है। राजस्थान में राजस्व
 25.01.2016 की प्रति प्रस्तुत की, जिसके अनुसार खसरा नंबर 249/1 खातेवासी
 है, गोवर की भूमि पर नहीं है ? इन तथ्यों के समर्थन में अधीनस्थ द्वारा मोका फर्ट रिपोर्ट दिनांक
 निर्देश दिये गये हैं। अधीनस्थ का कथन किया कि उसका कब्जा अपनी खातेवासी भूमि पर ही
 28.01.2011 का निर्णय पारित करते हुए कौमन लेण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के
 द्वारा एचएलपीओ 3109/2011 का निर्णय है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय
 श्रेणी में होने से आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय
 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है एवं साथ ही सार्वजनिक उपयोग की
 प्रकरण में प्रस्तावित भूमि कि किस्म गी०मू० गोवर है, जो राजस्थान करारकाली अधिनियम 1955
 आतिक्रमण होने के कारण तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।
 किया एवं पुनर्माता अधिरोपित करते हुए आदेश बंदखली पारित किया, साथ ही पुरवातवर्ती
 की धारा 91 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ को आतिक्रमी घोषित
 प्रस्तुत की, जिस पर तहसीलदार द्वारा जखान द्वारा राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956
 तारबन्दी करने के कारण पटवारी हका द्वारा तहसीलदार द्वारा जखान के समक्ष रिपोर्ट
 राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अधीनस्थ द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर
 तहसीलदार द्वारा जखान के खसरा नंबर 249 रकबा 0.50 हैक्टयर किस्म गी०मू० गोवर की भूमि
 से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम आसन जाखान
 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अधील अन्दर स्याद सुमार की जाती है। जो अधील आदेश
 मनन करने के पश्चात अधीनस्थ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम
 समर्थन में वकील अधीनस्थ के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर
 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के
 किया गया। अधीनस्थ द्वारा अपनी अधील को अन्दर स्याद सुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम
 उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन

अतः अधीनस्थ की अधील खाली करावे।
 समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जो अधील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है।
 कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अन्तर्गत ही की गई है। अधिनियम न्यायालय द्वारा प्रकरण के
 आतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधिनियम न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण
 आदेश बंदखली पारित किये गये हैं। चूंकि अधीनस्थ द्वारा किया गया आतिक्रमण पुरवातवर्ती
 के विरुद्ध राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए
 राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अधीनस्थ द्वारा आतिक्रमण करने के कारण अधीनस्थ
 तहसीलदार द्वारा जखान के खसरा नंबर 249 रकबा 0.50 हैक्टयर किस्म गी०मू० गोवर की भूमि
 सरकारी धरेकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम आसन जाखान

2002 पृ 509 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।
 475, आर०बी०जी० (11) 2010 पृ 57, आर०बी०जी० (7) 2000 पृ 25 तथा आर०बी०जी० (9)
 करावे। विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ ने अपनी बहस में आर०बी०जी० (8) 2001 पृ
 किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः अधील स्वीकार करावे तथा अधीनस्थ आदेश निरस्त
 आदेश विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ को जो अधील आदेश की पालना में सिविल जेल में निरुद्ध
 अधीनस्थ का कब्जा नहीं है तथा भूमि मॉके पर खाली पड़ी है। इस कारण जो अधील पारित
 भूमि पर तहसीलदार द्वारा जखान ने अधीनस्थ का आतिक्रमण माना है, उस भूमि पर

तथा जैर अपील मूँस पर वर्तमान में अपीलान्ट का कब्जा नहीं होना प्रकट हुआ है। इस स्थिति में अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपील संख्या 17/2017 में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2017 एवं तहसीलदार मारवाड जंखन द्वारा प्रकरण संख्या 628/16 में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2016 को अपस्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार मारवाड जंखन को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट को साथ सूचनाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय को रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



राजस्व अपील अधिकारी, पाली
(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)

पाली
[Handwritten signature]